



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175099

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4841 सन् 2026

एक्स किशोर

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार सरोज, नागेंद्र बहादुर सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

विपक्षी पक्षकार को नोटिस तामील होने के बावजूद, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त उसकी ओर से उपस्थित होने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपनी माता के माध्यम से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि इस पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए और विद्वान बाल न्यायालय, जनपद औरैया द्वारा आपराधिक अपील संख्या 100 सन् 2025 (किशोर एक्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.02.2026 तथा विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, औरैया द्वारा (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशोर “एक्स”) में पारित आदेश दिनांक 02.12.2025 को अपास्त किया जाए। आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि पुनरीक्षणवादी को मुकदमा अपराध संख्या 0568 सन् 2025, धारा 65(1), 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4(2)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना अजीतमल, जनपद औरैया में जमानत पर रिहा किया जाए।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में वह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा उसकी आयु लगभग 17 वर्ष है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार पुनरीक्षणवादी ने दिनांक 28.09.2025 को पीड़िता के घर में उसके साथ बलात्कार किया और उसने इस तथ्य को अपने माता-पिता को बताया, इसके बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.10.2025 को छह दिन के विलंब के पश्चात बिना किसी स्पष्टीकरण के दर्ज कराई गई, जिससे अभियोजन की संपूर्ण कहानी संदेह उत्पन्न करती है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई, यद्यपि योनिच्छद विदीर्ण पाया गया, किंतु उसे नवीन बताया गया है, जबकि छह दिन बीत जाने के पश्चात ऐसी चोट को नवीन नहीं कहा जा सकता। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जिला परीवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपचारी के हित के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया तथा परीवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया, बल्कि अपना न्यायिक विवेक लागू किए बिना तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 में निहित विधि पर विचार किए बिना अपील को निरस्त कर दिया। वह दिनांक 05.10.2025 से किशोर देखरेख गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, दिनांक 05.10.2025 से संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध रहने की अवधि, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में बिना किसी स्पष्टीकरण के हुए छह दिन के विलंब, पीड़िता के कथन, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों तथा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित किए हैं। इस प्रकार, वर्तमान पुनरीक्षण में पर्याप्त आधार विद्यमान प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2025 तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2026 एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं तथा वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणवादी (अपचारी की माता) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) पुनरीक्षणवादी/माता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगी कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे यह कि माता यह सुनिश्चित करेगी कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

(ii) पुनरीक्षणवादी/माता इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगी कि किशोर उपयुक्त स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणवादी/माता प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा नियमित रूप से उसकी सामाजिक विवेचना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करें।

19 अगस्त, 2026

सूरज श्रीवास्तव

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”